न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 269/2016

प्रार्थी :– रामलाल पुत्र श्री गेंदाराम जाति मेघवाल निवासी बेदावड़ी कलां तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, मेड़ता।
2. पटवारी हल्का, सोगावास।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–16.10.2017

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा बेदावड़ी कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 120 व 121 की जमीन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है। उक्त खसरान की जमीन नक्शें में तरमीम सुदा है। पुरानी जमाबंदी की नकलें व नक्शा की नकल साथ में पेश है। खसरा नम्बर 120 व 121 के पूर्वी–दक्षिणी तरफ कट्टाणी रास्ता मौके पर विद्यमान है और कट्टाणी रास्ता के दक्षिण में खसरा नम्बर 125 व 126 की जमीन आयी हुई ह। प्रार्थी की खसरा नम्बर 120 व 121 के हाल ही में हुए सेटलमेंट में खसरा नम्बर 165, 166 व कुछ अन्य खसरा नम्बर कायम किये। इस संबंध में कोई विवाद नही है। खसरा नम्बर 165 व 166 नक्शे में तरमीम जरूर किये है मगर नये सेटलमेंट मे खसरा नम्बर 166 की उत्तरी भूजा पुराने नक्शे के अनुसार कायम नही की और खसरा नम्बर 165 व 166 के पूर्वी–दक्षिणी तरफ रास्ता में गोलाई बतायी है, वह पुराने नक्शे के अनुसार नही है। इस वजह से उक्त रास्ता के चिपता ही खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नम्बर 126 व 125 के नये खसरा नम्बर 177, 179 व 180 के खातेदार अब नये नक्शे के अनुसार मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की जमीन के नये खसरा नम्बर 165 व 166 में पुरानी सीवें–माठे पुराने नक्शे के अनुसार दी हुई है तथा मौके पर कुदरती पैदावार के वृक्ष खड़े है तथा पूर्व मे सीमाज्ञान किया जाकर ग्रेवल रोड़ भी बनी हुई है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पुराना रामदेव की का व डाली बाई का स्थान भी बना हुआ है। अगर नये नक्शे के अनुसार मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है कि प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को रेकर्ड नक्शा दुरूस्त करने का कहा तब अप्रार्थीगण ने नये सेटलमेंट में हुई त्रुटि को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही शुद्धि होने का कहा, जिससे प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बेदावड़ी कलां के पुराने खसरा नम्बर 120 व 121 के अनुसार नये सेटलमेंट में कायम खसरा नम्बर 165, 166 अन्य खसरान के नक्शे को पूर्व की भांति दुरूस्त किया जावें अर्थात पूर्व की भांति भुजाओं का नाप नये नक्शे में दर्ज करवाया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावें। प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा बेदावड़ी कलां की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073, खाता संख्या 65 नक्शा ट्रेस फोटु, जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 खाता संख्या 6, भू–प्रबंध विभाग का पर्चा नोटिस संख्या 12, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015 की फोटो प्रतियां पेश की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। पटवारी हल्का मेड़ता एवं निरीक्षक भू–अभिलेख मेड़ता ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.07.2017 द्वारा रिपोर्ट की है कि ग्राम बेदावड़ी कलां के पुराने खसरा नम्बर 120 व 121 तथा पुराने खसरा नम्बर 125, 126 के बीच में स्थित कट्टाणी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रास्ता 124 की तरमीम गलत करने बाबत् प्रार्थी ने वाद प्रस्तुत किया है। नये सेटलमेंट में पुराने खसरा नम्बर 120, 121, के नये खसरा नम्बर 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 व 171 बने हुए है तथा पुराने खसरा नम्बर 125 व 126 के नये खसरा नम्बर 177, 178, 179, 180, 181 व 182 बने है तथा कट्टाणी रास्ता पुराना खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 186 बना है। पुराने नक्शे में कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 124 को नये नक्शे में उपरोक्त खसरा नम्बरों के बीच में तरमीम पुराने नक्शे के अनुसार नही की गई है। यानि उपरोक्त खसरा नम्बर के बीच में उक्त रास्ते को पश्चिमी खेतों में तरमीम की है जो गलत है। अतः संलग्न पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे में रास्ते को लाल स्याही से दर्शाये गये स्थान पर कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 176 की तरमीम की जाना उचित है।

तहसीलदार मेड़ता अपने पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2017/456 दिनांक 12.07.2017 द्वारा पटवारी हल्का मेड़ता व भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता की उक्त मूल रिपोर्ट पर अभिशंषा के साथ भिजवायी है।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह था कि तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार नक्शे को दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि निरीक्षक भू–अभिलेख मेड़ता, पटवारी हल्का मेड़ता की रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा की गई अभिशंषा से होती है। अतः तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./शुद्धि/2017/456/दिनांक 12.07.2017 के द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसार ग्राम बेदावड़ी कलां के पुराने खसरा नम्बर 120 व 121 तथा पुराने खसरा नम्बर 125, 126 के बीच में स्थित कट्टाणी रास्ता 124 की तरमीम गलत करने बाबत् प्रार्थी नें वाद प्रस्तुत किया है। नये सेटलमेंट में पुराने

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 120, 121, के नये खसरा नम्बर 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 व 171 बने हुए है तथा पुराने खसरा नम्बर 125 व 126 के नये खसरा नम्बर 177, 178, 179, 180, 181 व 182 बने है तथा कट्टाणी रास्ता पुराना खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 186 बना है। पुराने नक्शे में कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 124 को नये नक्शे में उपरोक्त खसरा नम्बरों के बीच में तरमीम पुराने नक्शे के अनुसार नही की गई है। यानि उपरोक्त खसरा नम्बर के बीच में उक्त रास्ते को पश्चिमी खेतों में तरमीम की है जो गलत है। अतः संलग्न पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे में रास्ते को लाल स्याही से दर्शाये गये स्थान पर कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 176 की तरमीम की जाना उचित है।

अतः उपरोक्तानुसार नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मेड़ता की उपरोक्त रिपोर्ट निर्णय का भाग होगी। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा कोई आदेश नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner